

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

**सं. 11/2022- केन्द्रीय कर (दर)**

**सा.का.नि. 565(अ).**—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 45/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 14 नवंबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1391 (अ), दिनांक 14 नवंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th July, 2022

**No. 11/2022-Central Tax (Rate)**

**G.S.R. 565(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 45/2017-Central Tax (Rate), dated the 14<sup>th</sup> November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.1391(E), dated the 14<sup>th</sup> November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force on the 18<sup>th</sup> day of July, 2022.

[F. No.190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

**सं. 11/2022- एकीकृत कर (दर)**

**सा.का.नि. 566(अ).**— एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 47/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 14 नवंबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1396 (अ), दिनांक 14 नवंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव